राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांकः भू.अ. / 2019 / 465 दिनांक :– 15.07.2019

–:: आदेश ::–

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक राम / भू.अ. / परीक्षा / प–279 / 2017 / 8924–56 दिनांक 10.07.2019 की पालना में सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा – 2015 में अन्तिम् रूप से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 एवं तत्पश्चात् समय–समय पर जारी अधिसुचना / निर्देशों / परिपत्रों के अन्तर्गत 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी के रूप में पटवार प्रशिक्षण शाला में उपस्थिति दिनांक से नियुक्ति दी जाती है।

1. अनुसूचित क्षैत्र(TSP)

क्र	रोल न.	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	पता
1	300250	3515	श्रीमती साधना डामोर	कमलाशंकर	01-05-1991	STF	ग्राम–भीलकुंआ पोस्ट–गोदावाड़ा नारेंग तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाड़ा(राज.) पिन–327602

2. गैर अनुसूचित क्षैत्र(NON-TSP)

क्र	रोल न.	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	पता
1	171897	12928	सुश्री मनीषा	ब्रजलाल	25-08-1995	OBCF	चक–15 K.H.M. PO–दंतौर तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर(राज.) पिन–334023

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगी –

1 इस आदेश के तहत नियुक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारियों को दिनांक 19–07–2019 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना आवश्यक है।

2 इस नियुक्ति आदेश के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी के पद पर दी गई समस्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14189 / 2017 संतोष राव बनाम सरकार व अन्य, 15198 / 2017 दौलत सिंह राठौड़ बनाम सरकार व अन्य, 15680 / 2017 रोहिताश योगी बनाम सरकार व अन्य, 16346 / 2017 विनोद कुमार बनाम सरकार व अन्य, 16346 / 2017 नरेन्द्र सिह राजपूत बनाम सरकार व अन्य, 16538 / 2017 बजरंग लाल सैनी बनाम सरकार व अन्य, 16538 / 2017 विनोद कुमार बनाम सरकार व अन्य, 17009 / 2017 कैलाश चन्द्र स्वामी बनाम सरकार व अन्य, 13333 / 2017 हीराराम बनाम सरकार व अन्य, 13327 / 2017 अमानाराम चौधरी बनाम सरकार व अन्य, 21426 / 2017 दशरथ चौहान बनाम सरकार व अन्य, 15962 / 2017 सोहन राम बनाम सरकार व अन्य, 2112 / 2018 कमल सिंह बनाम सरकार व अन्य, 2112 / 2018 लाल सिंह बनाम सरकार व अन्य,16263 / 2018 मेघा सक्सेना बनाम सरकार व अन्य 12769 / 2018 अंतिम बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

3 अभ्यर्थी को जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।

4 उपस्थिति के समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र पचास रूपये के नोन ज्यूडीशयल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।

Scanned by CamScanner

5 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थी को उपस्थिति के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य स्तर के अधीनस्थ पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्पण करनी होंगी अन्यथा आपके प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धन राशि एक मुश्त राज्य सरकार को लौटानी होगी।

6 पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा।

7 प्रशिक्षण सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।

8 प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होना तथा दो वर्ष की परिवीक्षा काल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने पर पटवारी के पद की सेवायें नियमानुसार नियमित करने की कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा में उतीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाऐं नियमित नहीं की जायेगी।

9 प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 राज्य सेवा में दिनांक 1.1.2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कार्मिको पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागु होगी।

11 यह नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर होगी। इस अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है। परीवीक्षाकाल सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण करने के पश्चात् नियमित वेतन एवं नियमानुसार देय भत्तो पर किया जावेगा।

12 इस आदेश से नियुक्त कार्मिक पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के अनुसार मेडिक्लेम इंश्योरेन्स योजना लागू होगी।

13 इस आदेश से नियुक्त कार्मिक पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के प्रावधान लागू होंगे।

14 राजस्व मण्डल की विज्ञप्ति दिनांक 04.11.2015 के बिन्दु संख्या 15 (1 से 5 तक) में अंकित शर्तों की अवहेलना होने पर अथवा अभ्यर्थी द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

15 नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत 1 माह तक उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

॥
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांकः भू.अ. / 2019 / 2022 दिनांक :– 15.07.2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1 श्रीमान निबंधक महोदय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को पत्रांक राम / भू.अ. / परीक्षा / प–279 / 2017 / 8924–56 दिनांक 10.07.2019 के क्रम में प्रषित है।

2 श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय संभाग, उदयपुर।

3 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी प्रतापगढ़ को भेजकर लेख हैं कि उक्त नियुक्ति पत्र जिले की वेबसाईट पर प्रकाशित करावें।

4 सम्बन्धित श्री .... ।

5 निजी नस्ती.. ।

6 रक्षित पत्रावली।

Letter is not related to us. (NIC) Pl. report to ACP Sir

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner